संख्या-62/2021/2489/58-2021-49/2018

प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 03 दिसम्बर, 2021**

विषयः **राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में एस.एल.एस.सी. से अनुमोदित पान विकास योजना हेतु अनुमोदित धनराशि रू0 260.60 लाख के सापेक्ष कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति/अवमुक्त धनराशि रू0 90.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-53/आर0के0वी0वाई0/पा0वि0यो0/ 2021-22, दिनांक 30.11.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में एस.एल.एस.सी. से अनुमोदित पान विकास योजना हेतु अनुमोदित धनराशि रू0 260.60 लाख के सापेक्ष कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश सं0- 1750/12-3-2021-100(37)/ 2017 टी0सी0, दिनांक 23.11.2021 द्वारा अनुदान सं0-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0204- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की योजना की मानक मद 27-सब्सिडी में रू0-66.00 लाख तथा मानक मद 42-अन्य व्यय में रू0-24.00 लाख अर्थात् कुल धनराशि रू0-90.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निदेशक, उद्यान के निवर्तन पर रखी गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत कार्य हेतु उपरोक्त स्वीकृति/अवमुक्त धनराशि रू0 90.00 लाख की केवल प्रशासकीय स्वीकृति कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश सं0-1750/12-3-2021-100(37)/ 2017 टी0सी0, दिनांक 23.11.2021 में दी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार राय)
उप सचिव।

संख्या-62/2021/2489 (1)/58-2021 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) कृषि अनुभाग-3
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार राय)
उप सचिव।

http://shaandesh.up.gov.in